



परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश
Transport Department Uttar Pradesh
मोटरयान अधिनियम, 1988/उप्र0 मोटरयान करान अधिनियम, 1997 व इनके अधीन बने नियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं
के उल्लंघन का चालान प्रपत्र
(Challan document under Motor Vehicles Act, 1988/ U.P.M.V.Taxation Act, 1997 and
Rules/Regulations/Notifications made thereunder)
कार्यालय का नाम/ Office Name : **BandaRTO**



				
---	---	---	--	---

चालान दिनांक/Challan Date : **10-11-2022 13:42:47**

वाहन श्रेणी/ Vehicle Class:	M- Cycle/Scooter(2WN)	चालान संख्या/Challan no:	UP927221110134339
वाहन संख्या/Vehicle no	UP90L3898	चेसिस नं०/Chassis no:	
पुस्तक संख्या/Book no		इंजन नं० / मोटर नं०/ Engine no / Motor No:	HA10EREHK*****
वाहनस्वामी का नाम/ Owner's Name:	K**J B****I		
फॉर्म संख्या /Form no:			
Violator Contact No:	*****614		
वाहनस्वामी का पता/ Owner's Address	4**, J****J M*****, J*****, B*****1		
चालक का नाम/ Driver's name			
पिता का नाम/ Father's name			
आयु/ Age			
ड्राइविंग लाइसेंस नं/ DL no.			
घटनास्थल/ Place of incident	F9C9+383, Palhari, Banda, Uttar Pradesh 210001, India		
अभिगृहीत दस्तावेज Document Impounded:	साक्षी का नाम Witness name:		
No Document Impounded	1: ENF STAFF		

आरोपित अपराध/ Offences Charged with:-

Sr. No. / क्र० सं०	Offences Charged / आरोपित अपराध	M.V. Act 1988 / मोटरयान अधिनियम 1988	Punishment as per M.V. Act 1988 / मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार		Compounding Fee(In Rs.) / प्रशमन शुल्क (रु० में)
			Fine / जुर्माना (In Rs.) / (रु० में)		
			Minimum / न्यूनतम	Maximum / अधिकतम	
1.	Violation of not wearing Helmet (Notification Dt : 30- 07-2020)	(194 D)	1000	1000	1000
Total / योग			1000	1000	1000

उक्त आरोपित अपराध के प्रति विनिर्दिष्ट जुर्माने की राशि (अंको एवं शब्दों में):- **1000/-**

Penalty specified against above offences charged (in numerals and words): 1000/-

Rupees: **One Thousand Rupees only**

टिप्पणी / Remarks:

अभिगृहीत दस्तावेज का अस्थायी अधिकारपत्र दिनांकतक अथवा मूल दस्तावेज की वैधता तिथि तक, जो पूर्व में हो, वैध होगा।

The temporary authorization of impounded document shall be valid till (date)..... or till the validity of the original document, whichever is earlier.

For Online Payment

<https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan>

हस्ताक्षर / Signature :

प्रवर्तन अधिकारी का नाम व पदनाम/Name and signature of Officer
(up90pto1@echallan.in)

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(5)(ई) के अन्तर्गत बंधपत्र

(Bond under sec 213(5)(e) of Motor Vehicles Act, 1988)

मैं वचन देता/ देती हूँ कि उक्त आरोपित अपराध/ अपराधों के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए दिनांक को बजे..... (स्थान) उपस्थित होऊंगा तथा उपस्थित होने में चूक करने पर प्रदेश सरकार के लिए रु 1000 देने का उत्तरदायी होऊंगा।

I solemnly affirm that I shall be present at.....(place) on the specified date..... and time.....and, in case of failure to do so, shall be responsible to pay Rs 1000 in favour of Government of State.

ड्राइवर/ वाहन स्वामी का नाम एवं हस्ताक्षर

Name and signature of Violator (Driver/Owner)

K**J B****I/.....



Copyright © 2018 National Informatics Centre

